

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री राहुल पंचोली पिता श्री सुरेश पंचोली निवासी 90A/6 कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 71/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/08/19	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राहुल पंचोली पिता श्री सुरेश पंचोली निवासी 90A/6 कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 01.07.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को मय उनके द्वारा प्रेषित पोस्टर ऑर्डर नं. 41F 565823 राशि 10/-रूपये के प्रेषित की जावे।</p>	

11.9.19
7/2/19



(शिवाजी स्वर्णकार)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)